भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FX 798088

(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी ट्रस्ट के / अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी

शपथपत्र

हम श्री मती मुन्नी देवी (नाम अध्यक्ष) एवं जयवीर सिंह (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री राम सिंह शिक्षा समिति बृजभूषण नगर किशनी मैनपुरी शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है -

1. यह कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा बृजभूषण सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी (संस्था का नाम एवं पता) ब्रजराज नगर किशनी मैनपुरी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम ग्राम खिरिया (ब्रजराज नगर) किशनी मैनपुरी (पता जहां पर भूमि स्थित है) मे गाटा संख्या 1,2,3,4,353स रकबा कुल रकबा 0.869 हेक्टेयर भूमि है ।

3. यह कि उपरोक भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है ।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 230ब रकबा 0.869 हेक्टेयर कुल रकबा 0.869 हेक्टेयर) पर उपरोक नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 25/12/2019 पारित किया गया है ।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं / निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था अतिरिक्त किसी एवं पाठ्यक्रमों के परिषद आई०टी०आई / महाविद्यालय / विद्यालय / स्वानसम्बद्ध कोई अन्य सं / विश्वविद्यालय अनुमोदि / आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा ।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा सत्र / प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा ।

12. यह कि, शासन आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख दस्तावेज फर्जी /, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा ।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

Ram Singh
Bhagbhushan Nagar
Lucknow